

(आदेश 20 नियम 6,7 जा,दी.)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी  
श्री बिन्दुबाला राजावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी

श्री गोरधन सिंह पिता सुखसिंह राजपुत निवासी तहसील बड़ीसादड़ी

— वादी

॥ बनाम ॥


1. श्रीमति लाली पुत्री मोहन सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
2. श्रीमति कमला पुत्री मोहन सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
3. श्रीमति हेमलता पुत्री मोहन सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
4. श्रीमति पुष्पा पुत्री मोहन सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
5. श्री ललित सिंह पिता सत्यनारायण सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी
6. श्री नरेन्द्र सिंह पिता सत्यनारायण सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी
7. श्रीमति आशाकंवर पत्नी स्व.सत्यनारायण सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी
8. श्री दलपत सिंह पिता अमर सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
9. श्री कुशालसिंह पिता अमर सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
10. श्री योगेन्द्रसिंह पिता अमर सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
11. श्री मति हेमलता पिता अमर सिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
12. श्रीमति पुष्पाकुंवर पत्नी अमर सिंह राजपुत नि. बड़ीसादड़ी हाल मुकाम उदयपुर
13. श्री ललितसिंह पिता रामसिंह राजपुत नि. बड़ीसादड़ी तहसील बड़ीसादड़ी
14. श्रीमति चन्दाकुंवर पिता रामसिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी हाल मुकाम झामर कोटड़ा
15. श्री प्रवीण सिंह पिता देवीसिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी
16. श्री रोहितसिंह पिता देवीसिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी
17. श्रीमति वन्दना पुत्री देवीसिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी
18. श्रीमति दुर्गाकुंवर पत्नी देवीसिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी
19. श्रीमति नारगी कुंवर उर्फ गीताकुंवर पिता सुखसिंह राजपुत नि.बड़ीसादड़ी
20. श्री भूमिधारी सरकार जरिये तहसीलदार बड़ीसादड़ी तह.बड़ीसादड़ी

— प्रतिवादीगण

प्रकरण सं. 10/2024 वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,209 आर.टी.ए.वादी की ओर से वकील श्री अनिलकुमार सोनावा की उपस्थिति में और प्रतिवादी वकील श्री अविनाश कुमार आमेटा की उपस्थिति में पेश राजीनामा अनुसार वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि बड़ीसादड़ी राजस्व ग्राम की आराजी सं. 2304 रकबा 0.23 हैक्टर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 लगायत 19 को संयुक्त खातेदार घोषित किया जाता है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।


इस वाद के खर्चे \* प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित. \* को दी जावे। यह आज दिनांक 05.02.2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

  
(बिन्दुबाला राजावत )  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी

कमांक/राजस्व/2024/101 दिनांक:- 9.2.24

मूल ही डिग्री की प्रति तहसीलदार बड़ीसादड़ी को भेजकर लेख है कि डिग्री अनुसार पालना की जाकर रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे।



  
उपखण्ड अधिकारी  
बड़ीसादड़ी  
